

20 8/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता आर्पीगण व विपक्षी संख्या-1 (उपस्थित है) पत्रावली में निर्णय/अदेश कार्य की अधिवक्ता की कक्षा से नहीं लिखा जा रहा है। अतः पत्रावली वाले निर्णय/अदेश हेतु दिनांक 29-8-19 को पेश हो।

29 8/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता आर्पीगण (उपस्थित है) आर्पीगण की ओर से प्रस्तुत आर्पीगण दिनांक 14-8-19 को स्वीकार किया गया व मूल आर्पीगण को स्वीकार किया गया। निर्णय/अदेश प्रकृत से लिखा जा रहा सुनवाई गया व शांति पत्रावली किया गया। पत्रावली के लिए शुमार हो कर काद कार्यावाही नम्बर से कार्य की जा रहा दिनांक समतल हो।



उपखण्ड अधिकारी  
कुम्भलगढ़  
जिला-राजकोट (गुज.)

दिनांक 01-8-19